	PB-1(5200-20200)							PB-2(9300-34800)		PB-3(15600-39100)
Existing Pay	1700	1750	1900	2000	2400	2400	2400	2800	2800	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः—20-02-2025

अपील संख्या 03/2020
(जीसीएमएस संख्या 2020/00056)

1. विनोद कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति जाट निवासी चक 16 एम डी तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. रामप्रताप पुत्र श्री रामदास जाति स्वामी निवासी मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज

—रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 01—05—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बीकानेर।

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 01—05—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र अन्य आवेदक को किये जाने से एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील पूगल में चक 2 एम जी डब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 100/45 की कुल तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन आवेदन किया गया था। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुने बिना ही अन्य आवेदक को भूमि आवंटन कर दी गई एवं अपीलांट का आवेदन पत्र आवेदित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किये जाने के करण खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। यदि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबे को किसी अन्य व्यक्ति को आंवटित किया जा चुका है किन्तु अपीलांट आज भी सीमान्त किसान होने के कारण विशेष आवंटन नियमों के तहत भूमि पाने का अधिकारी है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014–15 सप पेज 455 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—05—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 01—01—2020 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवेदित भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—05—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 01—01—2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील पूगल में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 100/45 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु उपस्थित आने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी के अलावा अन्य आवेदक श्री रामप्रताप के उपस्थित आने पर भूमि आवंटन की जा चुकी है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन अराजी पर एक से अधिक आवेदन आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकों को नीलामी में उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किया जाना अभिलिखित किया है। मगर दिनांक 01—05—1999 को बिना अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी के अलावा अन्य आवेदक के उपस्थित आने पर भूमि आवंटन की जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता की गई हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—05—1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर